



	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	
	प्रशिक्षण अनुभाग	आईएस / आईएस ओ खण्ड संख्या 7.1
संदर्भ: क्यूएमएस: ईएसी क्यूपी-07-1 पृष्ठ 1 का 1	विषय:- 'वर्ष 2010 के प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 1 दिनांक 22.4.2010 मे संशोधन	फाइल संख्या प्रशि/सीआईआर/6(7)/2014 - प्रशिक्षण अनुभाग
नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित	वर्ष 2015 का प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 2.	दिनांक 16.2.2015

विषय : वर्ष 2010 के प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 1 दिनांक 22.4.2010 मे संशोधन वर्ष 2015 का प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 2.

1. लिक्विड हैंडलिंग सिम्युलेटर (एलसीएचएस) (प्रबंधन स्तर) प्रशिक्षण कार्यक्रम के नए अनुमोदन / इसकी विद्यमान क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 का यह कार्यालय प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 1 [फाइल संख्या 21 - प्रशि(4)2006 दिनांक 22.4.2010], लिक्विड कार्गो हैंडलिंग सिम्युलेटर (एलसीएचएस) (परिचालनात्मक स्तर) पाठ्यक्रम किया जाना अनिवार्य करता है.
2. फिर भी 2010 में यथा संशोधित एसटीसीडबल्यू '78 के अनुसरण में, प्रचालन स्तरीय डेन्जरस कार्गो एन्डोर्समेंट (डीसीई) अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, क्योंकि भाग I और II स्तरीय पृष्ठांकनों को ही जारी किए जाने की आवश्यकता होगी. इसके परिणामस्वरूप सभी अधिकारी सीधे ही प्रबंधन स्तरीय पाठ्यक्रम करेंगे.
3. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2010 के उक्त प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 1 को आंशिक रूप से संशोधित कर अब विद्यमान प्रशिक्षण संस्थान जो कि चीफ मेट [चरण I और II] विदेश गामी [एफजी] और / या तटसमीपीय समुद्री यात्रा [एनसीवी] के लिए अनुमोदित हैं तथा जो ये करवाते हैं वे इस कार्यालय के वर्ष 2005 के प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 29 [फा.नं.3 - प्रशि.(5)/98 दिनांक 27.12.2005] का अनुपालन करते हों और इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए / जारी किए जा रहे संगत पाठ्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं वे लिक्विड कार्गो हैंडलिंग सिम्युलेटर (एलसीएचएस) प्रबंधन स्तरीय समुद्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नए अनुमोदन/विद्यमान क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
4. इसे यथा संशोधित वाणिज्यिक पोत परिवहन [समुद्रकर्मियों के लिए प्रमाणपत्र एवं निगरानी के मानक] नियम, 2014 के नियम 75 के अध्याय IX के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

  
[आनंद कुमार]

सहायक नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

सेवा में,

सभी समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान [ डीजीएस वेब साइट के माध्यम से]

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान अधिकारी, सचावि, मुंबई / कोलकाता / चेन्नई / कोच्चि / कांडला
- 2) इनसा / फोसमा / मासा / इक्सा / एमयूआई
- 3) नॉटिकल अनुभाग
- 4) इंजीनियरिंग अनुभाग
- 5) प्रबंधन प्रतिनिधि (क्यूएमएस), ईएसी अनुभाग नौसेना
- 6) इन्डोस कक्ष नौभवन मुंबई - 1
- 7) वेब साइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित कंप्यूटर कक्ष
- 8) हिंदी अनुभाग को अनुदित प्रति
- 9) ई - गवर्नेंस कक्ष 10) गार्ड फाइल